हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

द्वारा ग्राम पंचायत कार्यवाही में हस्ताक्षर करने से सहमति भी होना स्पष्ट है। साथ ही वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थियों का कब्जा भी सिद्ध नहीं है व हितबद्ध होने का स्पष्ट सबूत नहीं है। किसी व्यक्ति को दावे में पक्षकार तभी बनाना चाहिए जब उस दावे में उसका कोई हित निहित है। प्रार्थी गण का कोई हक व अधिकार बनता हो तो वह अलग से दावा ला सकते हैं या विधि के अनुसार चाराजोई करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम प्रार्थी गणों को दावे में पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं समझते हैं, आरआरडी 1984 पेज 77 में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में निर्णय किया गया है कि किसी पक्षकार को प्रथक से दावा लाने से बचाने के लिए वादी की आपति को दरकिनार करते हुए पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। वादी की इच्छा के विरुद्ध उसके वाद में व्यवधान पैदा करने हेतु किसी व्यक्ति को पक्षकार बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रकरण अंतिम स्टेज पर है, सभी हितबद्ध पक्षकारान का राजीनामा पेश हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 खारिज किया जाकर उभय पक्षकारान के राजीनामे के अनुसार प्राथमिक डिक्री वास्ते विभाजन जारी हो, तहसीलदार खंडेला को वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव सह खातेदारों के कब्जे को ध्यान में रखते हुए मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तैयार कर मय रंगदार नक्शा पेश होने बाबत पत्रावली 02.09.2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

28.8.19 प्रार्थीगण की ओर से मय अधिवक्ता एवं प्रा० पक्ष इस आशय की पेश हुई कि न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रा० डिक्री दिनांक 5/8/19 को जारी कर विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार कर पूर्व में सभी पक्षकारों के मध्य सद्भाविक राजीनामा हो चुका है प्रकरण को अन्तिम डिक्री फरमाये जाने में किसी पक्ष को कोई आपत्ती एतराज नहीं है प्रारम्भिक डिक्री

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	हुक्म
	के मुताबिक अन्तिम डिक्री होने के पश्चात राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले चुके इस सब परिस्थितियों के मद्देनजर पत्रावली तलब की जाकर न्याय हित में अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः पत्रावली तलब कर आज ही प्रा० डिक्री के मुताबिक ही अन्तिम डिक्री फरमायी जावे। हस्त आदेश का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली नियत पेशी से तलब की गयी। वकील वादीगण ने बहस हेतु निवेदन किया। निवेदन स्वीकार कर बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने दौराने बहस कथन किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव ही अन्तिम डिक्री किया जावे। बहस सुनी गयी। वास्ते निर्णय मिसल दिनांक 30-8-19 को पेश हो। पुनश्च: पत्रावली का पुनः अवलोकन से जाहिर आया कि प्रतिवादी न०-10 ता 13 की तामील पत्रावली में पूर्व से पेश हुई है। बावजूद सम्यक तामील प्रतिवादी न० 10 ता 13 अनुपस्थित रहे इनको बार बार आवाज दिलायी गयी बावजूद आवाज अनुपस्थित रहे अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस सुनी जा चुकी है। वास्ते निर्णय मिसल दिनांक 30.8.19 को पेश हो	

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

30/8/19 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश

हुई वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण ने दौराने बहस कथन किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव ही अन्तिम डिक्री किया जावे। इसमें किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः मुताबिक प्राप्तांकित डिक्री को पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के ही अनुसार डिक्री किया जाना स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण का वाद पक्ष स्वीकार कर ~~उसके~~ डिक्री किया जाता है कि:- वादीगण का वाद पक्ष मुताबिक विभाजन प्रस्ताव ही अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव:- यू. अ./2019/2414 दिनांक 26.8.19 ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। इसी भांति डिक्री तामिल हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/8/19

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला

बइजलास श्री महीपाल सिंह (आर.ए.एस)

1. शंकर लाल 2.सीताराम 3. श्रवण कुमार पुत्रगण भगवाना समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0

(वादीगण)

बनाम

1.सजना पत्नी लेखचन्द 2. रामसिंह 3. सुल्तान सिंह 4. मानसिंह पुत्रगण लेखचन्द 5. रामस्वरूप 6. रामेश्वरलाल 7. सोहनलाल पुत्रगण सांवतराम 8. नरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल 9. मदललाल पुत्र भागीरथ समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0 10. भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला 11. मैनेजर बी0ओ0बी0 बैंक शाखा खण्डेला 12 मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा पलसाना 13.मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा खण्डेला।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत घोषणा, तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 158 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री महिपाल सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री रामवतार बिजरानियां एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू बरूए राजीनामा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद पत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव ही अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भू.अ. /2019/2414 दिनांक 26.08.2019 ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो ।

निज.....मुवलिग.....बाबत.....खर्चा

इस मुकदमें के मय सूद वशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसदा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 08 सन 2019 को जारी की गई।

दस्तखत 30/8/19

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

ओहदा.....

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए

Scanned by CamScanner